परिशिष्ट - अ

मुख्यमंत्री सहायता कोष नियम, 1989

मुख्यमंत्री सहायता कोष नियम 1972 को अधिक्रमित करते हुये मुख्यमंत्री सहायता कोष के संचालन के लिये निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैंः-

(1) ये नियम मुख्यमंत्री सहायता कोष नियम, 1989 कहलायेंगे।

(2) इस कोष की निधि में वे समस्त राशियाँ जमा की जायेंगी जो व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से इस कोष के लिये दान के रुप में प्राप्त हों।

(3) इस कोष से सहायता मुख्यमंत्री द्वारा अपने विवेक के अनुसार बाढ अग्नि-दुर्घटना, सूथा या अन्य विपत्तियों से ग्रस्त या औद्योगिक एवं अन्य दुर्घटनाओं के शिकार या उक्त पीडित लोगों को राहत पहुंचाने के लिये दी जा सकेगी। सहायता प्रभावित व्यक्तियों या उनके परिवार के लोगों को सीधे या कलेक्टर के माध्यम से या उनकी सेवा में रत संस्थाओं को या अन्य राज्य सरकारों के माध्यम से दी जाएगी। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त एवं/ अथवा साधनहीन ऐसे लोगों को भी जिन्हें तत्काल सहायता देना आवश्यक प्रतीत हो, इस कोष से सहायता दी जा सकेगी।

(4) मुख्यमंत्री किसी भी प्रकरण में अधिकतम रुपये 15000/- की सहायता स्वीकृत कर सकेगें। इससे अधिक राशि की सहायता के लिये न्यासी मण्डल का अनुमोदन आवश्यक होगा, परन्तु तत्काल सहायता आवश्यक होने की दशा में मुख्यमंत्री अपने विवेक से रुपये 15000/- से अधिक की राशि न्यासी मंडल के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत कर सकेंगे। ऐसे समस्त प्रकरण न्यासी मंडल के समक्ष उसकी अगली बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) दुर्घटना अथवा नैसर्गिक आपदा अथवा अन्य ऐसे प्रकरणों में जिसमें तत्काल सहायता स्वीकृत करना अपरिहार्य हो, प्रति व्यक्ति रुपये 2000/- तक की सीमा के अधीन मुख्यमंत्री सहायता राशि स्वीकृत करने के अधिकारी न्यासी मंडल के सचिव अर्थात सचिव, मुख्यमंत्री को प्रत्यायोजित कर सकेंगे। इस प्रकार स्वीकृत की गई राशि का पूर्ण विवरण सचिव द्वारा प्रतिमाह मुख्यमंत्री जी के अनुसमर्थन हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता सीधे संबंधित व्यक्तियों को अथवा शासकीय, अर्द्धशासकीय या निजी संस्थाओं/ अभिकरणों के माध्यम से ही दी जा सकेगी।

(7) यह सहायता दान के रुप में अथवा अग्रिम के रुप में दी जा सकेगी। अग्रिम के रुप में दी गई सहायता पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। किन्तु उसकी वसूली का उत्तरदायित्व उसी संस्था या अभिकरण का होगा, जिसके माध्यम से अग्रिम का भुगतान किया गया है।

(8) कोष में यदि कोई सहायता वस्तुओं के रुप में प्राप्त होती है तो उसका वितरण मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शासकीय /अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं के माध्यम से जरुरतमंद व्यक्तियों के बीच किया जायेगा।

(9) कोष का लेखा और अन्य अभिलेख का संधारण मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार किया जायेगा। कोष के हिसाब-किताब की लेखा परीक्षा, प्रतिवर्ष स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षक द्वारा की जायेगी। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन न्यासी मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(10) ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को जो अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त सहायता कोष का कार्य करेगें, राज्य शासन के परामर्श से, मानदेय दिया जा सकेगा।

(11) इस कोष के प्रशासन के लिये एक न्यासी मंडल होगा, जिसका गठन निम्नानुसार किया जायेगाः-

1.	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	वित्त मंत्री	सदस्य
3.	राजस्व मंत्री	सदस्य
4.	उद्योग मंत्री	सदस्य
5.	समाज कल्याण मंत्री	सदस्य
6.	वित्त सचिव	सदस्य
7.	मुख्यमंत्री के सचिव	सदस्य सचिव

न्यासी मंडल की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी, जिसमें कोष का लेखा प्रस्तुत किया जायेगा।

(12) इस कोष में जमा राशियॉ शासन की संचित निधि का भाग न होने के कारण उनके लेखा-जोखा उपयोग, विनियोजन आदि पर लोक-लेखा के लिये निर्धारित निर्देश लागू नहीं होंगे।

(13) न्यासी मंडल इन नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन परिवर्धन या परिवर्तन कर सकेगा।

हस्ता/-
(न.ब.लोहानी)
सचिव, मुख्यमंत्री
29/6/1989